

पारधन निगम कृत्यालय  
लखनऊ

संख्या 1711 सी.सी./96/470 सी.सी./93 दिनांक अगस्त 18, 1996

- 1-समस्त मूखलीय प्रधान प्रबन्धक  
उत्तर प्रदेश पारधन निगम।
- 2-प्रधान प्रबन्धक, केन्द्रीय/सैन्य कारेटेड कार्यशाळा,  
उत्तर प्रदेश पारधन निगम, लखनऊ।
- 3-प्रधानाचार्य, प्राथमिक संस्थान/केन्द्रीय भण्डार  
उत्तर प्रदेश पारधन निगम, लखनऊ।
- 4-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
उत्तर प्रदेश पारधन निगम।
- 5-प्रबन्धक, पार लेखन,  
उत्तर प्रदेश पारधन निगम, लखनऊ।

विषय:- पारधन निगम के कर्मचारियों के कर्षों के विवाह के शुभ अवसर पर  
आरक्षित करायी जाने वाली कर्षों के विवाह में छूट।


पारधन निगम के अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधा हेतु कल्याणकारी  
कदम उठाये जाने के लिए कृत संकल्प है। इसी धृष्टि में कर्मचारियों के व्यापक  
हित को धृष्टगत रखते हुए निगम प्रशासन पदारा एवं कर्षों और जोड़ी गयी  
है; इसके अन्तर्गत निगम कर्मचारियों के कर्षों के विवाह के शुभ अवसर पर  
आरक्षित करायी जाने वाली निगम कर्षों के विवाह में छूट प्रदान किये जाने  
का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, कर्षों के विवाह में छूट निगम कर्षों और प्रोत्सवनों  
के साथ देय होगी :-

1. विवाह के लिये उपलब्धता के आधार पर एक उपलब्ध करायी जाने का  
प्रदात किया जायेगा।
2. प्रत्येक कर्मचारी को यह सुविधा पूरे सेवाकाल में एक बार ही  
अनुमन्य होगी।
3. निगम पदारा विवाह के लिये निर्धारित दर जो समय समय पर  
पुनरीक्षित होती रहेंगी में 50% की छूट होगी। शेष 50% विवाहा  
तथा समस्त यात्राकर, लक्षार्थ, यात्री बोमाकर एवं अन्य देय कर  
कर्मचारी को स्वयं पूर्य करने होंगे।
4. प्रत्येक कर्मचारी को विवाह के अवसर पर एक बार ही एक छूट  
के साथ उपलब्ध करायी जायेगी यदि एक से अधिक कर्षों को कर्षों  
की जाती है तो उस पर सामान्य दर से विवाहा पार्श्व दिया जायेगा  
उक्त छूट एक 36 घण्टे की समयवाच के लिये ही लागू होगी यदि  
उसके उपरांत भी एक का प्रयोग किया जाता है तो उस अवाध के लिये  
सामान्य दर से विवाहा देय होगा। एक तोरिंग कैमिस्ट्री की संख्या  
के आधार ही विवाह पार्टी पदारा पूर्य दिया जायेगा तथा इतने

पुरा- विभागा संबंधित कर्मचारियों को घटन करना पड़ेगा ।


- ॥६॥ निगम की ब्लॉक का प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर विद्यालय के प्रयोजन से ले जाने की अनुमति नहीं होगी अपौरुहार्य परिस्थितियों में यदि ऐसा आवश्यक है तो इस हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
- ॥७॥ क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रयोजन के ब्लॉक उपलब्ध कराने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । प्रयास तदनुसार अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अज्ञात करा दें तथा क्या आवश्यकता अनुपातन करावें ।

  
 R. S. Singh  
 संपुक्त प्रबन्ध निदेशक

संख्या १७११/१३०२/१३२०१३  
 प्रोत्तरीप :-

- 1- अध्यक्ष सर्व प्रबन्ध निदेशक महोदय के वैयक्तिक सहायक ।
- 2- संपुक्त प्रबन्ध निदेशक-1 के वैयक्तिक सहायक ।
- 3- संपुक्त प्रबन्ध निदेशक -1 के वैयक्तिक सहायक ।

  
 R. S. Singh  
 संपुक्त प्रबन्ध निदेशक